

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1941 / मा०सं० एवं प्र० वि० / पिटकुल / पी-5

दिनांक : 02.11.2018

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि सम्बन्धित समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों पर एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष-2018 में मान्यता अवधि	विस्तारित मान्यता अवधि	उद्देश्य/रोगों की चिकित्सा का विवरण
1	पाटिल डेन्टल केयर, बल्लूपुर, देहरादून।	01.10.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
2	थापर स्पेशलिटी डेन्टल क्लीनिक, 41/1 बल्लूपुर रोड़, देहरादून, नजदीक आई०एम०ए० ब्लड बैंक, देहरादून।	01.10.2017 से 30.06.2018 तक	01.10.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
3	भगवती सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 325, चाँव मण्डी, रूडकी।	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	सर्जरी एवं स्त्री रोग प्रसूति सम्बन्धित रोग
4	आई०क्यू० सुपर स्पेशियलिटी, आई हास्पिटल, चन्द्रपुरी, रूडकी।	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	नेत्र रोगों हेतु
5	सिटी डेन्टल क्लीनिक, देहरादून रोड़, रूडकी।	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
6	काला ईएनटी सेन्टर, 5-न्यू रोड़, देहरादून।	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	नाक, कान एवं गला रोगों हेतु
7	लाईफ लाइन हॉस्पिटल एण्ड यूरोलोजी इंस्टीट्यूट, 98/18 प्रगति विहार, धरमपुर, नजदीक रिस्पना पुल, देहरादून।	01.10.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	यूरोलोजी, प्रसूति एवं सम्बन्धित रोगों (Obstetrics & Gynecology), सामान्य शल्यचिकित्सा (General Surgery), तथा परीक्षण हेतु

प्रतिबन्ध यह होगा कि :-


- उक्त सभी चिकित्सालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में दिनांक 30.06.2018 को प्रभावी दरों एवं निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
 - मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु यदि चिकित्सा दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव कारपोरेशन को प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा।
- उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1991 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. सम्बन्धित चिकित्सालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली / कट फाईल।



(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)